UPGK040284772022

न्यायालय ए0सी0जे0एम0-II, गोरखपुर।

परिवाद सं०-19573/2022

1. श्रीमती रेहाना पत्नी सेराज अली अंसारी, उम्र 23 वर्ष, पुत्री शौकत अली।

साकिन-मोहल्ला इलाहीबाग बन्धे वाली मस्जिद, थाना - तिवारीपुर, जनपद- गोरखपुर

----परिवादिनी

बनाम

1. सेराज अली अंसारी पुत्र खालिक

2. खालिक पुत्र अज्ञात

3. शाबरा पत्नी खालिक

4. मेराज पुत्र खालिक

5. शाहजहां पुत्री मेराज

6. रोजी पुत्री खालिक

7. टिंकू उर्फ इरफान

8. शबा पुत्री खालिक

9. तरन्नुम पुत्री खालिक

निवासीगण-जंगल तुलसीराम, बिछिया पी०ए०सी० कैम्प मस्जिद टोला, थाना - शाहपुर, जनपद- गोरखपुर

-------विपक्षीगण

धारा-12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005

एकपक्षीय निर्णय

1. परिवादिनी श्रीमती रेहाना द्वारा उपरोक्त विपक्षी सं0 01 से 09 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा-12 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के तहत परिवाद संस्थित कर याची द्वारा अनुतोष चाहा गया है।

2. परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी का कथन है कि परिवादिनी की शादी विपक्षी संख्या 1 सेराज अली के साथ मुस्लिम शरीयत के मुताबिक दिनांक 13.03.2022 को समस्त सगे-सम्बन्धियों व रिश्तेदारों के समक्ष सम्पन्न हुई थी। परिवादिनी उसी दिन विदा होकर अपने ससुराल गई और अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करते हुए

गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगी। परिवादिनी के घर वालो ने सोने, चाँदी के जेवरात एक अदद सोने का झुमका व चाँदी की पॉजेब व चाँदी का शोकबन्द, चाँदी की बाल की, चाँदी का छपका तथा सोने की कील व बहुत से घरेलू सामान, जिसमें डबल बेड लोहे की आलमारी एवम मोटरसाईकिल आदि बहुत से कीमती सामान दिए। परिवादिनी जब से अपने ससुराल विदा होकर गई है तभी से कम दहेज के कारण मेरे शौहर, सास, ससुर, देवर व ननदे व नन्दोई बुलेट मोटरसाईकिल और दो लाख रूपये की मांग करते थे। उसका पति शराब पीकर आता था और बार-बार परिवादिनी को गाली-गुप्ता और जान से मारने की धमकी देता था और कहता था कि तुम अपने माँ-बाप के घर से बुलेट मोटरसाईकिल व दो लाख रूपये जब तक मांग कर नहीं लाओगी हम सभी लोग तुमको जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। परिवादिनी ने उक्त बातों की शिकायत अपने माता-पिता से किया तो माता-पिता ने उसके घर जाकर समझाने की कोशिश किया लेकिन वे लोग दहेज लोभी मानने को तैयार नही है। उसकी लड़की को दिनांक 15/07/2022 को मारपीट कर सारा जेवर, कपडा विपक्षी व विपक्षी के परिवार वालो ने रख लिया है और घर से गाली-गुप्ता देकर भगा दिया। जबकि परिवादिनी को उसका पति उसके पेट पर लातो से मारा जिससे प्रार्थिनी के पेट में दो माह का गर्भथा तथा चोटे भी आई। परिवादिनी ने इस बात की सुचना थानाध्यक्ष शाहपुर को दिया और एस०एस०पी० महोदय गोरखपुर को प्रार्थना पत्र भी दिया तथा शाहपुर थाना जनसुनवाई में परिवादिनी गई लेकिन दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश पुलिस वालो ने किया लेकिन विपक्षी व विपक्षी के परिवार वाले समझौता करने को तैयार नही हुए।

3. विपक्षी सं०-1 सेराज अली अंसारी सेन्ट जोसेफ स्कूल में काम करता है। जिससे मासिक आय मु०-40,000/-रूपये पाता है। बावजूद इसके जानबूझकर परिवादिनी का भरण-पोषण नहीं कर रहा है।

4. विपक्षी को नियमानुसार नोटिस जारी हुई। विपक्षी पर नोटिस का तामिला दिनांक 16.11.2023 को पर्याप्त माना गया। विपक्षीगण के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध 05.04.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी। परिवादिनी ने एक पक्षीय साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0-1 के रूप में स्वयं का तथा पी०डब्लू०-2 के रूप में मुन्नू का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी द्वारा पहचान हेतु आधार आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है व अन्य प्रपत्र दाखिल किया गया है।

5. परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता का एक पक्षीय बहस सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। परिवादिनी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू0-1 के रूप में स्वयं का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया गया।

6. परिवादिनी ने अपने परिवाद कथानक का समर्थन अपने एकपक्षीय साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है कि परिवादिनी की शादी विपक्षी सं०-1 सेराज अली अंसारी के साथ हुई है तथा वह परिवादिनी के पति है।

7. जिला प्रोबेशन अधिकारी की तरफ से प्रदाता द्वारा प्रस्तुत घरेलू घटना की रिपोर्ट में अनुतोष की धारा 18,19,20, एवं 22 का उल्लेख है, परन्तु उनमें कुछ ऐसे तथ्य भी अंकित है जिनका उल्लेख धारा 12 के आवेदन में उपस्थित नहीं है।

8. परिवादिनी ने विपक्षी के आय के संबंध में प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया है। विपक्षी संख्या-1 जो परिवादिनी के पति है उनका व्यक्तिगत दायित्व बनता है कि वह अपनी पत्नी के भरण-पोषण के संदर्भ में उचित व्यवस्था करें।

9. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का मत है कि परिवादिनी का संबंध विपक्षी से घरेलू नातेदारी की श्रेणी में आता है। विपक्षी द्वारा किया गया कृत्य धारा 12 घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत आता है अतएव परिवादिनी की धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एकपक्षीय रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

याचिनी का परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध-

(i) इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि प्रत्यर्थी/विपक्षी परिवादिनी के साथ भविष्य में घरेलू हिंसा कारित नहीं करेंगे एवं घरेलू हिंसा के कार्य कारित करने में सहायता एवं दुष्प्रेरण नहीं करेंगे तथा परिवादिनी के साथ किसी भी प्रकार का मौखिक-लिखित एवं किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा कारित नहीं किया जायेगा।

(ii) विपक्षी संख्या 1 को आदेशित किया जाता है कि याचिनी को धनीय अनुतोष के रूप में बतौर क्षतिपूर्ति 30,000/- (तीस हजार रूपया) रूपये एक मुस्त आदेश के दिनांक से एक माह के अंदर अदा करेगा तथा परिवादिनी रेहाना को भरण-पोषण व दैनिक आवश्यकताओं हेतु 3,000/- (चार हजार रूपये) आदेश के दिनांक से प्रत्येक माह की 10 तारिख तक अदा करना सुनिश्चित करेगा।

(iii) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि पूर्व से परिवादिनी द्वारा भरण-पोषण की धनराशि प्राप्त की जा रही है, तो उक्त धनराशि इस आदेश में वर्णित धनराशि में समायोजित की जायेगी।

इस आदेश की एक प्रति परिवादिनी को तत्काल निःशुल्क प्रदान की जाय तथा एक-एक प्रति संबंधित थानाध्यक्ष व जिला संरक्षण अधिकारी को प्रेषित की जाय।

दिनांक-07.02.2025

(ज्ञानेन्द्र कुमार-II)
ए0सी0जे0एम0-II,
गोरखपुर।
J.O.Code-UP2378

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक-दिनांक-07.02.2025

(ज्ञानेन्द्र कुमार-II)
ए0सी0जे0एम0-II,
गोरखपुर।
J.O.Code-UP2378